राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

क्रमांकः– लेखा एवं वित्त / पेंशन / 2023 /　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः–

अधिसूचना

शासन सचिव वित्त (बजट) राजस्थान सरकार के आदेश संख्या 13(12) वित्त (नियम) 2021 दिनांक 8.9.2023 को राजकीय उपक्रमों / स्वायत्तशासी निकायों / विश्वविद्यालयों आदि संस्थाओं में, जहां CPF/EPF/NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के सम्बन्ध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के प्रावधानों को यथास्थिति राजस्थान विश्वविद्यालय में तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है।

समस्त कार्मिकों को NSDL की वेबसाइट से अपने एवं नियोक्ता के अंशदान राशि का नवीनतम विवरण प्राप्त कर अविलम्ब इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ताकि उन्हें जमा कराई जानी वाली राशि की गणना कर अवगत कराया जा सके। यह राशि कुलसचिव राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के नाम से चैक / डी.डी के रुप में जमा करानी होगी।

प्रत्येक कार्मिक को विकल्प पत्र के भाग के रुप में सलंग्न घोषणा पत्र अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करना होगा जो रु. 50/– के नोन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जायेगा।

वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेशो की निरन्तरता में विकल्प प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 30.9.2023 तक बढाई जाती है। संदर्भित आदशो के साथ संलग्न विकल्प पत्रों में भी उक्त संशोधन लागू होगा। उक्त तिथि तक यदि कोई कार्मिक नियोक्ता अंशदान राशि जमा नहीं कराता है तो उसको NPS का सदस्य ही माना जायेगा।

–sd–
(रामसुख जाटोलिया)
वित्त नियंत्रक एंव
वित्तीय सलाहकार

क्रमांकः– लेखा एवं वित्त / पेंशन / 2023 / 15077–15107　　　　　　　　दिनांकः– 12/9/23

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न का अग्रेप्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. शासन सचिव, वित्त (बजट) राजस्थान, सरकार।
3. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4)राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष , शैक्षिणक / अशैक्षिणक विभाग, राजस्थान वि.वि. जयपुर।
5. समस्त प्राचार्य, संघठक महाविद्यालय, राजस्थान वि.वि. जयपुर।
6. समस्त निदेशक, पी.जी.स्कूल्स / वि.वि. केन्द्र, राजस्थान वि.वि. जयपुर।
7. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर राजस्थान वि.वि. जयपुर को राजस्थान सरकार के आदेश एवं विकल्प पत्र की प्रति भेजकर अनुरोध है कि इस अधिसूचना के साथ, विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर तुरन्त प्रसारित करावें।
8. परिक्षा नियन्त्रक, राजस्थान वि.वि. जयपुर।
9. समस्त उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव, राजस्थान वि.वि. जयपुर।
10. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान वि.वि. जयपुर।
11. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलसचिव, राजस्थान वि.वि. जयपुर।
12. निजी सचिव, वित्त नियंत्रक एंव वित्तीय सलाहकार, राजस्थान वि.वि. जयपुर।

RJ Jain 12/09/23
(डॉ. राजकुमार जैन)
उपकुलसचिव
लेखा एवं वित्त